

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, प्रतापगढ़ (राज.)

Telephone/Fax- 01478-223755 :: E-mail- dc-pra-rj@nic.in

क्रमांक : स्थापना/गार्ड/2025/116

दिनांक : 24/09/2025

- :: कार्यालय आदेश :: -

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2025/936 दिनांक 18.01.2025 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)113/2024/920 दिनांक 19.09.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर प्रथमतः छः माह के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड-III के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/- रुपये मासिक नियत (फिक्स) पारिश्रमिक पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

S.No	Rank	Roll No	Candidate Name	Scateg	AllotJship
1	5	61818	PARIKSHIT SHARMA	GEN	PRATAPGARH-DC

- यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय अथवा भविष्य में किसी अन्य न्यायालय में लंबित वादों के एवं विधिक कार्यवाही के निर्णयाधीन रहेंगी।
- प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढ़ाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे-मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
- अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदर्शों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
- राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
- इस आदेश की प्राप्ति के 7 कार्य दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- नवनियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

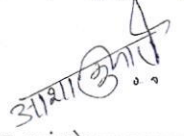
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक : स्थापना/2025/6019-21

दिनांक : 24/09/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- प्रभाराधिकारी (लेखानुभाग) जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ (राज.)
- 2- प्रभाराधिकारी (कम्प्यूटर) जिला एवं सेशन न्यायालय, प्रतापगढ़ (राज.) को लेख है कि उक्त आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर एवं निम्नांकित की मेल आई-डी पर अपलोड/प्रेषित किया जावे।
- 3- परीक्षित शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा, निवासी बापुगली, तहसील व जिला प्रतापगढ़ को व्यक्तिगत एवं उनकी व्यक्तिगत पत्रावली हेतु। मोबाईल नंबर 9549574583 व ईमेल आईडी- pbs.parikshit123@gmail.com


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
प्रतापगढ़ (राज.)